

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या - 03/भू0अ0नि0 (3) विशेष सर्वेक्षण नियोजन (विज्ञापन) - 33/2022-2586
प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 20/9/2022

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम, के अन्तर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है :-

क्र0सं0	मानदेय आधारित संविदा पदनाम	विज्ञापन संख्या	कुल रिक्ति की संख्या
1	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	02/2022	240 (दो सौ चालीस)

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन संख्या- 02/2022 को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- सूचना की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या-02/2022

विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन

बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली-2019 - अधिसूचना संख्या-72 (3) दिनांक 27.02.2019 समय-समय पर यथा संशोधित, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 तथा संकल्प संख्या-12534 दिनांक 17.09.2018 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नवसृजित संविदा पदों के विरुद्ध विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक है, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट www.lrc.bih.nic.in पर Login किया जा सकता है।

2. (क) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कुल पद :- 240 (दो सौ चालीस)

आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
52	2	34	29	16	95	12
* रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।						

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या-13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. **आरक्षण :-** (i) राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

4. मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता :-

क्र० सं०	पदनाम	न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता	मानदेय	न्यूनतम कार्य अनुभव	अभ्युक्ति
1	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा + 2 (दो) वर्ष का न्यूनतम अनुभव	36000/- (मानदेय 29,202.50/-, EPF and ESI सरकार का अंशदान-2797.50/- मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति-4000/- प्रतिमाह 12 माह के लिए)	दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव	न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा

5. उम्र सीमा :-

(i) न्यूनतम आयु - दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।

(ii) अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।

6. **नियोजन अवधि :-** मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।
7. विज्ञापन में वर्णित रिक्त का 3 (तीन) गुणा की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्त पद पर चयन के पश्चात् शेष कॉउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनेल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31.03.2024 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनेल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा।
8. **चयन प्रक्रिया :-** मैट्रिक, डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेधासूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:- यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80 प्रतिशत, डिप्लोमा में 70 प्रतिशत एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज $(80 \times 10 / 100 = 8$ अंक), डिप्लोमा में वेटेज $(70 \times 70 / 100 = 49$ अंक) एवं दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए $(2 \times 5 = 10$ अंक) देय होगा, इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज- $(8+49+10)$ अर्थात् 67 अंक का दिया जायेगा।
9. Online आवेदन दिनांक-27.09.2022 से 21.10.2022 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकालकर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
10. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन हैं। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।
11. विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।
12. www.lrc.bih.nic.in पर Login करने के बाद नियोजन से संबंधित Link प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई-मेल पर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा Personal Details, Educational Details, Photo & Signature एवं Document upload की कार्रवाई की जा सकेगी। Online आवेदन पत्र के Submit करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है। एकबार Application Form Final Submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में Application Form में सुधार/Edit का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। कॉउंसलिंग की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई दस्तावेज मान्य होगा।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण